

तारीख
हुक्म

13.2.2025

श्रील शर्मा द्वारा 12.3.2025 को पेश की गई
वहल हेतु तस्मात् प्राप्त की गया पात्र की
आपत्ति 12.3.2025 को पेश की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

12.3.2025

श्रील शर्मा द्वारा 12.3.2025 को पेश की गई
वहल हेतु तस्मात् प्राप्त की गया पात्र की
आपत्ति 12.3.2025 को पेश की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

26/3/2025

वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौर
पर/दीगर कार्य/अनकाश पर है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 26/3/2025 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

9.4.2025

वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौर
पर/दीगर कार्य/अनकाश पर है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 9/4/2025 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

30/4/2025

वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौर
पर/दीगर कार्य/अनकाश पर है। पत्रावली वास्ते
दिनांक 30/4/2025 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

6/5/2025

श्रील शर्मा द्वारा वहल शर्मा पत्र पेश
की गई। अतिरिक्त में विवक्षा इन प्रकार है कि
मौजा दिश की ना खेता फल वरु करपाली वहल
कपासन की आवासीय भूखंड 247 रुकना। बीप्ला 12
विप्ला का शर्मा अन्य कर्तव्यरानके खाम 42 गैल
ले खेतकारान है। पिपना अत्रत्यरानने कर्तव्यरान
को मिल कर कटवान कर लिया व फलवले अत्रमी
ने हाल आवासी 478 रुकना 6.08 हेक्टर
आपने खेतके को अधिक कर दिया लिया। अत्रले उत्रके
जान पर कर होले से आवासीगत रुक-रुकी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

कर्मों पर आलोक है। अतः अश्लील
 की सञ्चार विधेयता से परामर्श
 मिले जाने का विवेकन किया। स्थान
 पत्रालय का अक्लान किया। कि गर्भ
 वृद्धि पर ध्यान दिया। अतः अश्लील
 के अक्लान पर प्रथम दृष्टिकोण प्रयोग
 किया। अतः अश्लील की अश्लील
 वृद्धि के पर ध्यान दी है।
 व अश्लील के विषय अश्लील
 विधेयता पायी गया। अतः अश्लील
 वृद्धि होता है। अतः अश्लील पर ध्यान
 अतः अश्लील दिया जाता है। अश्लील
 अतः अश्लील अश्लील के रूप में।
 अतः अश्लील अश्लील

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़